

18वाँ अखलि भारतीय वधिकि सेवा प्राधकिरण का दो दविसीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

16 से 17 जुलाई, 2022 तक राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण (नालसा) तथा राजस्थान राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण (रालसा) द्वारा 18वाँ अखलि भारतीय वधिकि सेवा प्राधकिरण का दो दविसीय सम्मेलन आयोजति कयिा गया ।

प्रमुख बदि

- समापन सत्र में राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण के कार्यकारी अध्दयक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललति ने कहा कि राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण की शुरुआत से अब तक वभिन्नि प्रकार के नवाचार कयिे गए हैं, जसिसे कोर्ट में लंबति मामलों में कमी आई है ।
- उन्होंने बताया कि प्राधकिरण द्वारा संचालति आउटरीच कार्यक्रम के तहत देश के सभी गाँवों में न्यायालयों के लंबति मामलों को नपिटाया गया । प्राधकिरण द्वारा लगाई गई, लोक अदालतों द्वारा लंबति मामले का नसितारण कयिा गया है । प्राधकिरण का लक्ष्दय वर्ष 2047 तक प्रत्येक व्यक्ती को वधिकि सेवाएँ प्रदान करना है ।
- समापन सत्र में राजस्थान के मुख्दय न्यायाधीश एस.एस. शदि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्दय न्यायाधीश राजेश बदि, पंजाब व हरयिाणा राज्य के मुख्दय न्यायाधीश रवशिंकर झा तथा रालसा के कार्यकारी अध्दयक्ष व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव ने भी अपने वधिार व्यक्त कयिे ।
- इस अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्दयक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललति ने बालस्वराज-पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल तथा न्याय रो साथी मोबाइल ऐप का लोकार्पण कयिा एवं ई-पाठशाला कॅपेन का शुभारंभ कयिा ।
- इसके अतरिकित्त रालसा के डजिटिल पहल आरएसएलएसए-22 डजिटिल लोक अदालत प्लेटफॉर्म का भी लोकार्पण कयिा गया ।